

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग5.
संख्या-01/2019/3523जे/22-5-2018-1200(27)/2017
लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2019
वारण्ट

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ के सिद्धदोष बंदीगण 1- बलराम यादव पुत्र अनन्त सिंह यादव, 2- जगत नरायन फौजी पुत्र शिवरतन, 3- चन्द्रहास पाण्डेय पुत्र स्व0 शिवराम पाण्डेय को मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदियों को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उन्हें केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-01/2019/3523जे/22-5-2018-तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-40496/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/2/2018, दिनांक 07-12-2018 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। (संलग्नक यथोक्त)
2. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
3. पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।